वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 09.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश, जनसंदेश टाइम्स, ज्ञानशिखा टाइम्स, परफेक्ट मिशन," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 09.07.2024

ब्रांडेड कंपनियां नक्शा पास भवनों में ही खोलें शो-रूम

जेपी पांडेय • जागरण

- शहर में खुले विभिन्न कंपनियों के शो रूम भवनों को वीडीए करेगा चिह्नित
- सेटबैक और वाहन पार्किंग नहीं होने से लगता है जाम, होती है परेशानी
- आग लगने पर अग्निशमन विभाग को राहत पहुंचाने में आती है समस्या

वाराणसी : ब्रांडेड कंपनियां शहर में शो रूम, रीटेल आउटलेट समेत अन्य कारोबार के लिए भवन किराए पर लेने से पहले नक्शा जरूर देख लें। साथ में यह भी देखे कि भवन स्वामी ने वीडीए से पूर्णतया प्रमाणपत्र लिया है या नहीं। यदि नहीं लिया है तो कोई कारोबार नहीं करें। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कई नामी कंपनियों को मेल और पत्र लिखकर अमल में लाने की चेतावनी दी है। मेल या पत्र मिलने के बाद भी शो रूम खोलने पर वीडीए सख्ती से कार्रवाई करेगा। साथ ही वीडीए ऐसे भवनों को चिह्नित करने जा रहा है जिसमें शो रूम खुले हैं। यदि उक्त भवन का नक्शा पास नहीं है तो संबंधित कंपनी को वीडीए नोटिस भेजकर भवन बदलने को कहेगा।

धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होने के साथ पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उसके साथ ही शहर कई ब्रांडेड कंपनियां अपने कारोबार लेकर आ रही हैं। काशी के विकास में इनकी अहम भूमिका है लेकिन एजेंटों या तथाकथित दलालों के बहकावें में आकर ब्रांडेड कंपनियां वीडीए से बिना नक्शा पास कराए भवनों में शो रूम खोल लिए हैं। इन भवन स्वामियों ने नियमों को दरकिनार करके निर्माण किया है। सेटबैक नहीं छोड़े हैं और न ही वाहन पार्किंग हैं जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। शो रूम में आग लगने पर अग्नि शमन विभाग को उनकी मदद करने में काफी दिक्कत आती है। ग्राहकों की जान तक चली जाती है। कई शहरों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है।

> प्राय: देखा जाता है कि व्यवसायिक भवनों का निर्माण कराए बगैर, यदि कराया गया है तो स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण होता है। भवन स्वामी की ओर से पूर्णतया प्रमाणपत्र नहीं लिया जाता है जो गलत है। कई शो रूम आवासीय भवनों में खुले हैं जो पूरी तरह से गलत है। ब्रांडेड कंपनियों को मेल और पत्र भेजकर अवगत कराया गया है। खासकर नए शो रूम पर नजर है। इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
>
> -पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए।

मानचित्र के विपरीत निर्माण पर वीडीए करता है सील

वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद भवन स्वामी उसी के हिसाब से निर्माण कराना होता है। निर्माण कार्य पूरा होने पर भवन स्वामी को वीडीए से पूर्णतया प्रमाणपत्र लेना पड़ता है, बिना इसके भवन स्वामी उक्त स्थल का उपभोग नहीं कर सकता है। मानचित्र के विपरीत निर्माण करने पर वीडीए नोटिस जारी कर कार्रवाई करता है। वीडीए भवन को सील भी कर देता है।

इन कंपनियों को भेजा मेल और लिखा गया पत्र

टाटा, टेंट वेस्टसाइड, जुडियो, डिकैथलान, डोमिनोज, लाइफ स्टाइल, क्रोमा, रिलायंस स्मार्ट बाजार, पैंटालून्स तथा सरकारी और गैर सरकारी बैंक संचालकों को।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 09.07.2024

दो मैरिज लान संग अवैध निर्माण सील, प्लाटिंग ध्वस्त

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने हरहुआ और सचिव ने रिंग रोड पर खड़े होकर पूरी की कार्रवाई

- वीसी ने नाराजगी जाहिर करते हुए जोनल अधिकारी से किया जवाब-तलब
- रिंग रोड पर होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज लान की करें जांच, दर्ज कराएं मुकदमा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध निर्माण और बिना ले-आउट पास कराए जमीन की प्लाटिंग करने वालों पर नकेल कसने सोमवार को फिर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा अलग-अलग क्षेत्रों में निकले। क्षेत्र में अवैध निर्माण पर नाराजगी जाहिर करते हुए मौके पर खड़े होकर कार्रवाई कराई। वीडीए उपाध्यक्ष ने अवैध प्लाटिंग की बाउंड्री को तोड़वाने के साथ जोनल अधिकारी से जवाब-तलब किया। वहीं, वीडीए सचिव ने रिंग रोड पर दो मैरिज लान संग कई व्यवसायिक भवनों को सील करा दिया। अवैध निर्माण को सील करने के साथ मुकदमा दर्ज कराने को कहा। वहीं, जोन चार ने तीन बीघा और असि नदी के किनारे रोहित नगर में ढाई बीघा प्लाटिंग की बाउंड्री तोड़ने के साथ कार्यालय पर तोड़ दिया।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग सुबह शिवपुर वार्ड की टीम के साथ हरहुआ निकले। अयोध, गोसाईपुर गांव में बिना ले-आउट पास कराए पुरुषोत्तम अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल कोरौत साढ़े बीघा में अवैध प्लाटिंग कर रहे थे। उपाध्यक्ष खुद खड़े होकर सभी बाउंड्री को तोड़वा दिया। वहीं, औसानपुर एवं पंचकोशी रोड हरहुआ पर में बिना ले-आउट पास कराए पांच बीघा में अवैध प्लाटिंग हो रही थी। पूछने पर कालोनाइजर का किसी ने नाम नहीं बताया, यहां भी बुलडोजर से छोटे-बड़े सभी बाउंड्री को तोड़ दिया गया। उधर, वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा जोन दो टीम के साथ निकले। सारनाथ वार्ड के भक्ति नगर कालोनी में संजय जायसवाल राज वाना मार्बल के व्यवसायिक निर्माण को सील करा दिया। रिंग रोड संदहा में हरिहरनाथ पटेल का व्यवसायिक भवन, सिंहपुर शंकरपुर में अक्षय कुमार यादव का आवासीय निर्माण को सील करा दिया।

रिंग रोड पर मैरिज लान सील करवाते वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा • जागरण

बरियासनपुर में संजय सिंह और विजेंद्र प्रताप सिंह का मैरिज लान सील करा दिया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जेपी गुप्ता को रिंग रोड और आसपास मैरिज लान, होटल व रेस्टोरेंट की जांच करने का निर्देश दिया। दूसरी तरफ, जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई। भेलूपुर वार्ड में कैवल्यधाम एक्सटेंशन कालोनी में आरपी सिंह भूतल पर सटरिंग कर रहे थे। इसी कालोनी में ऋतुराज सिंह प्रथम तल पर निर्माण कर रहे थे। सीमा सिंह चौथे मंजिल पर सटरिंग करा रही थी। सभी भवनों को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। नगवां वार्ड के अवर अभियंता आरके सिंह ने बताया कि एचएफएल क्षेत्र में गंगोत्री नगर कालोनी में चिंतामणि यादव तीन मंजिल निर्माण कर फिनिशिंग कर रहे थे। सामने घाट पटेल नगर कालोनी में गंगाधर सिंह चौथे मंजिल पर सटरिंग करा रहे थे। इसी कालोनी में अनिल सिंह दूसरे मंजिल पर कालम खड़ा करा रहे थे। शांति देवी भूतल पर निर्माण करा रही थीं। सभी भवनों को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। सिकरौल वार्ड के फुलवरिया में देवंती यादव और चौक वार्ड के गोविंदपुरा कला दालमंडी में चार मंजिल निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

असि नदी पर अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

असि नदी को संरक्षित करने को लेकर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग वीरव्यु के साथ मसौदा तैयार कर रहे हैं इधर स्थानीय लोग तेजी से निर्माण कर रहे हैं। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि एचएफएल क्षेत्र रोहित नगर में मीना देवी अवैध निर्माण की सटरिंग करा रही थी। वहीं, ढाई बीघा में अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही थी। बुलडोजर से अवैध बाउंड्री को तोड़ने के साथ कालोनाइजर के कार्यालय को तोड़ दिया गया।

अवैध निर्माण तोड़ता बुलडोजर • जागरण

हरहुआ में अवैध प्लाटिंग को देखते वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग• जागरण

दैनिक जागरण–दि0 09.07.2024

अवैध निर्माण का लेखा-जोखा रखेंगे वीडीए के सुपरवाइजर

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने के लिए विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग वार्ड के जोनल अधिकारी व अवर अभियंता के साथ सुपरवाइजर को भी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। क्षेत्र में अवैध निर्माण होने पर सुपरवाइजर कितनों को नोटिस जारी की गई, सील करने के साथ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया, कितने लोगों ने नोटिस जारी होने पर नक्शा पास कराया आदि का ब्यौरा रखेंगे। तहसील के लेखपाल की तर्ज पर वार्ड से ट्रांसफर होने पर अपना लेखा-जोखा नए को सौंपेंगे। लेखा-जोखा सही से नहीं रखने और ट्रांसफर न करने पर उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया। पदोन्नति और सेवानिवृत्त के दौरान देखा जाएगा।

वीडीए ने अवैध निर्माण में लापरवाही और संलिप्तता मिलने पर तीन कर्मचारियों को निलंबित करने के साथ कई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पिछले दिनों प्रवर्तन टीम की समीक्षा बैठक में वीडीए उपाध्यक्ष ने पाया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तरह सुपरवाइजर भी काम करता है जबकि सुपरवाइजर जिम्मेदारी का पद होता है। अवैध निर्माण के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने जोनल अधिकारी को निर्देश दिया है कि वार्ड के सुपरवाइजर की जवाबदेही तय करें। रजिस्टर बनाने के साथ नोटिस, सील, ध्वस्तीकरण, चिह्नित अवैध निर्माण, अतिरिक्त निर्माण, दर्ज मुकदमा और प्रगति आदि दर्ज करें। कार्यालय लिपिक के पास फाइल के साथ सभी रिकार्ड रहते हैं लेकिन सुपरवाइजर का अपना अलग रजिस्टर होगा। उनकी भी समीक्षा की जाएगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण

- जोनल अधिकारी व अवर अभियंता संग सुपरवाइजर की भी होगी जवाबदेही
- रजिस्टर सही नहीं रखने, ट्रांसफर न करने पर सेवा पुस्तिका में होगा दर्ज
- नोटिस, सील, ध्वस्तीकरण, मुकदमा, अवैध निर्माण का ब्यौरा रखना होगा

थानेवार रजिस्टर बनाने की योजना

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि पहले से थानेवार रजिस्टर बनाने की योजना बनाई गई है। सुपरवाइजर खुद के साथ थानेवार रजिस्टर से मिलान करेगा। थाने में कितनी तहरीर दी गई, कितनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। कितने सील भवन पुलिस अभिरक्षा में हैं। वार्ड बदलने पर सुपरवाइजर सभी लेखा-जोखा नए को सौंपेंगे। यह प्रक्रिया बनी रहेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 09.07.2024

गरजा वीडीए का बुलडोजर, 15 बीघे की 3 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, 15 निर्माण सील

एचएफएल के दायरे और अस्सी नाले सहित अन्य जगहों पर अवैध प्लॉटिंग पर की गई कार्रवाई

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। अवैध निर्माणों पर सोमवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) का बुलडोजर गरजा। ताबड़तोड़ कार्रवाई में 15 बीघे की तीन अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई और 15 अवैध निर्माणों को सील किया गया।

साथ ही इन्हें पुलिस अभिरक्षा में भी दिया गया। एचएफएल और अस्सी नाले के दायरे में हो रहे निर्माण को ध्वस्त करवाने के साथ वीडीए का बोर्ड भी लगवाया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा के निर्देश पर अभियान चलाया गया।

वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि भेलूपुर, नगवां, फुलवरिया, चौक, सिकरौल, शिवपुर वार्ड में कार्रवाई की गई। भेलूपुर वार्ड में अज्ञात की ओर से अस्सी नाले के आसपास कराए जा रहे 5.5 बीघे की अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया गया। सूचना पट लगाकर बताया गया कि यह अवैध प्लॉटिंग का क्षेत्र है, भूखंड की खरीदारी नियमानुसार अनुचित है। निर्माण के आसपास तीन बीघे में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त करवाई गई।

कार्यालय कक्ष और अन्य निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया। कैवल्यधाम कॉलोनी भेलूपुर में आरपी सिंह की ओर से बगैर मानचित्र स्वीकृत अवैध निर्माण कराया जा रहा था। नोटिस के बाद भी निर्माण कराने पर इसे सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।

इसी प्रकार मिलेनियम स्कूल के पास कैवल्यधाम कालोनी के ऋतुराज सिंह, सीमा, एचएफएल के दायरे में सामनेघाट में चिंतामणि यादव, सीरगोवर्धनपुर में गंगाधर, अनिल सिंह, सामने घाट में शांति देवी, नरिया रोहित नगर भेलूपुर में मीना देवी की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इन्हें भी सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। फुलवरिया पहलू का पुरा में हंसनाथ यादव, गोविंदपुरा दालमंडी में बादशाह अली को अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस दिया गया था। बावजूद निर्माण कराने पर वीडीए के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति ने अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा। वीडीए उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील की कि मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही निर्माण कराएं।

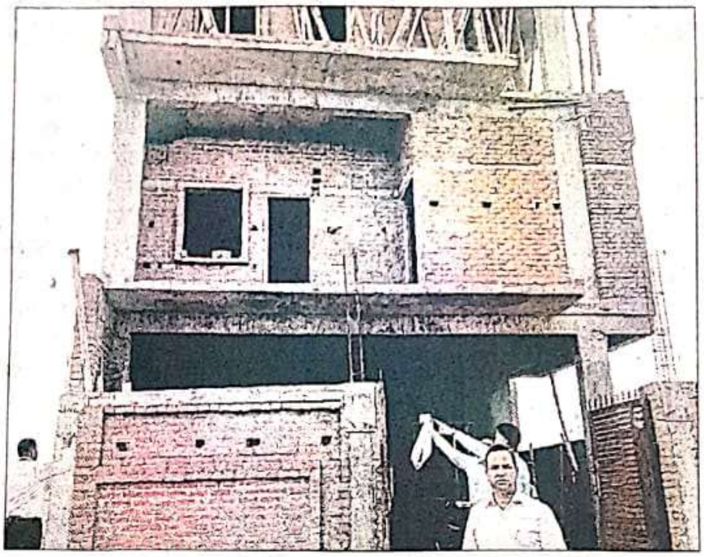

संदहा के पास अवैध निर्माण सील करते वीडीए के अधिकारी। स्रोत-वीडीए

शिवपुर में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराते वीडीए के कर्मचारी। स्रोत-वीडीए

वीडीए उपाध्यक्ष ने ध्वस्त करवाई प्लॉटिंग

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने अपनी मौजूदगी में शिवपुर वार्ड के दो अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवाया। बताया कि गोसाईपुर हरहुआ में बगैर ले-आउट स्वीकृत कराए पुरुषोत्तम अग्रवाल और रविंद्र अग्रवाल की ओर से 4.5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। औसानपुर, पंचकोशी रोड हरहुआ पर अज्ञात की ओर से बिना ले-आउट स्वीकृत कराए पांच बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। जिसे बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कराया गया। कार्रवाई को अंजाम जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश की अगुवाई में की गई।

वीडीए सचिव ने पांच अवैध निर्माण किए सील

वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने अपनी मौजूदगी में पांच अवैध निर्माणों को सील कराया। उन्होंने सारनाथ, दौलतपुर, संदहा, बरियासनपुर का निरीक्षण कर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। दौलतपुर में भक्ति नगर मार्ग पर संजय जायसवाल, बरियासनपुर संदहां में हरिहरनाथ पटेल के व्यवसायिक अवैध निर्माण को सील कराया। मिल्कोपुर शंकरपुर में अक्षय कुमार यादव के आवासीय अवैध निर्माण को सील कराया। बरियासनपुर के संजय सिंह और विजेंद्र प्रताप सिंह की ओर से बरातघर, मैरिज लॉन के अवैध निर्माण को सील कराया।

अब अवैध निर्माणकर्ता कंपाउंडिंग की फिराक में

चार दिनों से वीडीए की कार्रवाई से शहर में काफी चर्चा है। अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण और सील करने की कार्रवाई के बाद अब लोग कंपाउंडिंग के बारे में पता कर रहे हैं। कई आर्किटेक्टों से अवैध निर्माण कराने वाले संपर्क कर रहे हैं। वीडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी संपर्क कर रहे हैं। अवैध निर्माणकर्ता कंपाउंडिंग के जरिये होने वाली कार्रवाई और पेनाल्टी से बचने की जुगत लगा रहे हैं।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 09.07.2024

आला अफसरों के सामने खुल रही प्रवर्तन दल की कथित सक्रियता

दो मैरिज लॉन समेत 13 अवैध निर्माण सील किए

- वीडीए उपाध्यक्ष और सचिव ने कई इलाकों में भ्रमण किया
- कई बीघे में बिना ले आउट के हुई प्लॉटिंग ध्वस्त की गई

कार्रवाई

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को दो मैरिज लॉन समेत 13 अवैध निर्माण सील किए और तीन अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। तीन अवैध निर्माणों पर वीडीए का हथौड़ा चला। भेलूपुर वार्ड में अस्सी नदी के आसपास बिना ले-आउट स्वीकृत हुई अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। वहां अवैध प्लॉटिंग का बोर्ड भी लगाया गया ताकि आम लोग प्लॉट न खरीदें।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शिवपुर वार्ड के अनौरा, औसानपुर एवं पंचकोशी रोड पर निरीक्षण किया। अनौरा में बिना ले-आउट स्वीकृत हुए 4.5 बीघा और औसानपुर में पांच बीघा में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराई गई।

वीडीए सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा ने सारनाथ, दौलतपुर, संदहा (बरियासनपुर रिंग रोड के पास, मिल्कोपुर में निरीक्षण किया। इन इलाकों में आवासीय, व्यावसायिक, बारात घर आदि में अवैध निर्माण होता मिला। दौलतपुर और संदहा चौराहा के पास बरियासनपुर में दो व्यवसायिक निर्माण सील किए गए। मिल्कोपुर में

सोमवार को भेलूपुर स्थित एक भवन में हुआ अवैध निर्माण तोड़ता वीडीए कर्मी।

आवासीय निर्माण और बरियासनपुर में दो मैरिज लॉन को सील किया गया।

इसके अलावा गोविन्दपुरा में तीन मंजिला अवैध निर्माण जबकि कैवल्यधाम एक्सटेंशन में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये 40 गुणे 50 वर्गफीट क्षेत्रफल में ग्राउंड फ्लोर पर हुआ निर्माण सील किया गया। इसी कॉलोनी में मिलेनियम स्कूल के पास एक अन्य निर्माण भी सील हुआ। इसी कॉलोनी में लगभग 30 गुणे 45 वर्गफीट क्षेत्रफल में शटरिंग पर कार्यवाही की गई। गंगोत्री नगर, सामनेघाट में एचएफएल क्षेत्र में 40 गुणे 50 वर्गफीट एरिया में दो मंजिला भवन जबकि पटेल नगर, सामनेघाट में ज्ञान प्रवाह के सामने तीन मंजिला भवन में अवैध निर्माण सील किया गया। यहां लगभग 60 गुणे 100 वर्गफीट क्षेत्रफल में चौथे तल पर काम हो रहा था। पटेल नगर में ही एचएफएल के अन्तर्गत लगभग 25 गुणे 50 वर्गफीट में दो मंजिला भवन को सील किया गया। इसी कॉलोनी में एचएफएल क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 60 गुणे 60 वर्गफीट में बनी नींव सील हुई। रोहितनगर में अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई हुई।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 09.07.2024

एमएलसी ने आठ हाई मास्ट की दी सौगात

वाराणसी। एमएलसी और भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने सोमवार को वीडीए अवस्थापना निधि से रोहनियां विधानसभा क्षेत्र के हाशापुर, मिसिरपुर, नरउर, ककरमत्ता, छितौनी कोट, हरदतपुर, गौतम नगर कॉलोनी, अयोध्यापुर, मुड़ादेव में 44 लाख रुपये के आठ हाई मास्ट दिए। इस मौके पर विद्यापीठ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवेश पटेल, मंडल अध्यक्ष मिलन मौर्य, पार्षद सुरेश पटेल गुड्डू, अजय सिंह, शिवआश्रय विश्वकर्मा, विभाष पाठक, अजय विश्वकर्मा रहे।

आज–दि0 09.07.2024

विप्रा उपाध्यक्ष के बिना अनुमति के भवन निर्माण पर डंडा

दालमण्डी सहित आधा दर्जन मकान हुए सील

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सोमवार को चौक वार्ड में सी.के. ३४/१६४ गोविन्द कला दाल मण्डी में भवन स्वामी बिना विभाग से परमिशन लिए हुए निर्माण कार्य कर रहा था। निर्माण कार्य की वजह से मिट्टी कटाई के नष्ट होने की संभावना थी,शिकायत के आधार पर क्षेत्रीय अवर अभियंता मौके पर पहुंचे और उन्होंने भवन स्वामी को चेतावनी देते हुए निर्माण कार्य रोक देने का निर्देश दिया। लेकिन भवन स्वामी नोटिस और चेतावनी को दरकिनार करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा। जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति और अभियंता रवीन्द्र प्रकाश एवं क्षेत्रीय पुलिस के सहयोग से भवन को सील कर दिया गया भवन के निर्माण कार्य को निकटतम थाने के अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

भेलूपुर वार्ड में बीना ले आउट स्वीकृति भूतिल पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, तीन बीघे अवैध प्लाटिंग को निर्माण ध्वस्त कर दिया गया और वहां पर विप्रा ने बोर्ड लगाया कि यह जमीन नाले के जीर्णोद्वार के कार्य में आती है इसे बीना जानकारी के कोई भी व्यक्ति न खरीदे। इसी प्रकार भेलूपुर में बी. ३६/१० एक्स-१२-जी-१ कैवल्यधाम एक्सटेंशन भेलूपुर में भूतल पर पीलर का निर्माण किया जा रहा था। विप्रा अभियंताओं ने मौके पर पहुंच कर उसे सील कर दिया। यहीं पर बी.३६/१०-५० कैवल्यधाम एक्सटेंशन कालोनी में बीना मानचित्र के निर्माण कार्य चल रहा था। मौके पर पहुंचे अभियंताओं ने भवन को सील कर दिया। इसी प्रकार भवन संख्या बी.३६/१० कैवल्यधाम एक्सटेंशन बीना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार शिकायत मिलने पर भवनस्वामी को कार्य बंद करने की चेतावनी दी गयी थी इसके बावजूद कार्य जारी रहा। सोमवार को अभियंताओं की टीम ने उसे सील कर दिया। इसी प्रकार चिंतमणि यादव प्लाट नम्बर ४५० गंगोत्रि नगर सामने घाट पर अवैध ढंग से निर्माण कार्य जारी रहा। शिकायत के आधार पर पहुंचे अभियंताओं ने भवन को सील कर दिया। गंगाधर सिंह पटेल नगर सामने घाट में भवन स्वामी बीना अनुमति के निर्माण कार्य करा रहा था शिकायत के आधार पर वहां भी विप्रा अभियंतओं की टीम पहुंचकर भवन का सील कर दिया। अनिल सिंह पटेल नगर सामने घाट पर निर्माण कार्य कराये जा रहे था, मौके पर पहुंचे अभियंताओं की टीम ने भवन स्वामी से विप्रा की अनुमति पत्र मांगी जिसे उसने दिखाने से इंकार कर दिया और अभियंताओं ने उसे सील कर दिया। इसी प्रकार पटेन सामने घाट में अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था, मौके पर पहुंची अभियंताओं की टीम ने भवन को सील कर दिया। इसी प्रकार मीना देवी मौजा नरियां में भवन निर्माण कार्य जारी रहा, मौके पर पहुंचे अभियंताओं ने भवन स्वामी से मानचित्र से स्वीकृति मांगी जिसे दिखाने से इंकार कर दिया गया और टीम ने भवन को सील कर दिया।

आज—दि0 09.07.2024

आधा दर्जन क्षेत्रों में लगेंगे हाईमास्क

अवस्थापना मद से ग्राम हाशापुर मिसिरपुरा, नरउर, ककरमत्ता, छितौनी कोट, हरदत्तपुर, गौतम नगर कालोनी, अयोध्यापुर, मुड़ादेव पर ४४ लाख की लागत से आठ हाईमास्क लगाया गया। इस अवसर पर विधान परिषद के सदस्य एवं भाजपा के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने सुसुवाही वार्ड

के गौतम बुद्ध नगर कालोनी में हाई मास्क लगाने की शुरुआत की। उल्लेखनीय है कि इन अंधेरे में नागरिकों की परेशानी को देखते हुए संबंधित थानों पर पथ प्रकाश व्यवस्था की मांग की गयी थी, इसी को देखते हुए जिलाध्यक्ष ने हाईमास्क लगवाया। इस अवसर पर मिलन मौर्य, गुड्डू के अलावा वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता सत्यप्रकाश वर्मा, सहायक अभियंता लाला सतीश कुमार सुमन, कार्यदायी एजेंसी अजय कुमार और अन्य क्षेत्रीय लोग मौजूद थे।

राष्ट्रीय सहारा—दि0 09.07.2024

सिकरौली में भी सील किए गए निर्माण

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। सिकरौल के अंतर्गत देवंती यादव पत्नी हंसनाथ यादव द्वारा पहलू का पुरा, फुलवरिया वार्ड-सिकरौल में भूतल तल के उपर प्रथम तल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध क्रमशः कारण बताओं एवं निर्माण कार्य बंद करने की नोटिस दी गई थी। उसके बावजूद पक्ष द्वारा लगातार निर्माण कार्य जारी रखने पर स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा अधोहस्ताक्षरी में जोन-2 के अंतर्गत वार्ड सारनाथ के मुख्य मार्गो, दौलतपुर, संदहा (बरियासनपुर रिंग रोड के समीप) एवं मिल्कोपुर का निरीक्षण किया गया। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कई छोटे-बड़े आवासीय/ व्यावसायिक/ बारात घर आदि अवैध निर्माण गतिमान पाये गये। मौके पर अवैध निर्माण संजय जायसवाल, राज घराना मार्बल, दौलतपुर भक्ति नगर, वार्ड-सारनाथ वाराणसी पर व्यावसायिक निर्माण, हरिहरनाथ पटेल, पता-संदहा चौराहा, रिंग रोड, बरियासनपुर, वार्ड-सारनाथ वाराणसी पर व्यावसायिक निर्माण, क्षअय कुमार यादव, पता-मिल्कोपुर, शंकरपुर (रिंग रोड के समीप), वार्ड-सारनाथ पर आवासीय निर्माण, संजय सिंह, पता-बरियासनपुर, (रिंग रोड के समीप), वार्ड-सारनाथ पर बारात घर/ मैरिज लॉन का निर्माण, विजेंद्र प्रताप सिंह, पता-बरियासनपुर, रिंग रोड, वार्ड-सारनाथ पर बारात घर/ मैरिज लॉन का निर्माण को तत्काल ही सील कराया गया। निरीक्षण के दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार व अवर अभियंता जय प्रकाश गुप्ता एवं प्रवर्तन टीम के फील्ड स्टाफ आदि उपस्थित थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा–दि0 09.07.2024

एचएफएल एरिया में हो रहे अवैध निर्माण पर वीडीए सख्त, कई निर्माण सील

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण व सील की कार्यवाही की। भेलुपुर वार्ड में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा भूतल के अवैध निर्माण को वीडीए की प्रवर्तन टीम ने ध्वस्त कर दिया। साथ ही साथ उक्त निर्माण के आसपास लगभग तीन बीघे में की गई अवैध प्लाटिंग के अंतर्गत ऑफिस एवं अन्य निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया।

सरकार द्वारा अस्सी नाले के जीर्णोद्धार किये जाने की दिशा में ये उल्लेखनीय कार्य है। अतः अस्सी नाले के आसपास उक्त निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर वहां इस आशय का सूचना पट स्थापित किया गया कि यह क्षेत्र अवैध प्लाटिंग का है जिसमें किसी भी प्रकार के भूखंड की खरीदारी करना नियमानुसार अनुचित है। उक्त के अतिरिक्त वार्ड नगवां के निम्नवत स्थानों पर सील की कार्यवाही की गयी। वार्ड भेलुपुर में आरपी सिंह द्वारा भवन कैवल्यधाम एक्सटेंशन कालोनी, वार्ड-भेलूपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूतल पर पीलर खड़े करते हुए बीम की सटरिंग का कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता ने वर्तमान में भूतल पर पीलर खड़े करते हुए बीम की सटरिंग का कार्य निरंतर किया जा रहा था। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। तुराज सिंह ने भवन मिलेनियम स्कूल के पास, कैवल्यधाम एक्सटेंशन कालोनी, वार्ड-भेलूपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर प्रथम तल पर पीलर खड़े करते हुए सटरिंग का कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता की तरफ से वर्तमान में पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर प्रथम तल पर पीलर खड़े करते हुए सटरिंग का कार्य जारी था। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। सीमा सिंह पत्नी सुनील कुमार सिंह ने कैवल्यधाम एक्सटेंशन, वार्ड-भेलूपुर में पूर्व निर्मित जी+3 जिसका कार्य काफी समय से बंद था। पक्ष द्वारा जी+3 के ऊपरी तल पर पीलर खड़े करते हुए सटरिंग का कार्य प्रारम्भ किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में पूर्व निर्मित जी+3 के ऊपरी तल पर पीलर खड़े करते हुए सटरिंग का कार्य निरंतर किया जा रहा था। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। चिंतामणि यादव द्वारा गंगोत्री नगर, सामनेघाट, वार्ड-नगवां एचएफएल क्षेत्र के अंतर्गत जी+1 तल के पूर्व निर्मित भवन के द्वितीय तल पर सटरिंग का कार्य कर छत की ढलाई का कार्य किया जा चुका था। फिनिशिंग का कार्य गतिमान रखने पर सम्पूर्ण अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध नोटिस की कार्यवाही की गयी थी।

वर्तमान में स्थल पर विपक्षी द्वारा एचएफएल क्षेत्र के अंतर्गत जी+1 तल के पूर्व निर्मित भवन के द्वितीय तल पर सटरिंग का कार्य कर छत की ढलाई का कार्य किया जा रहा था। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। गंगाधर सिंह द्वारा पटेल नगर, सामनेघाट, सीरगोबर्धनपुर, ज्ञान प्रवाह के सामने, वार्ड-नगवां पर पूर्व निर्मित जी +3 तल के ऊपर चतुर्थ तल पर सटरिंग एवं तृतीय तल के फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर सम्पूर्ण-अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध नोटिस की कार्यवाही की गयी थी।

कुछ निर्माणों को किया गया ध्वस्त

वर्तमान में स्थल पर विपक्षी द्वारा पूर्व निर्मित जी+3 तल के ऊपर में चतुर्थ तल पर सटरिंग एवं तृतीय तल के फिनिशिंग का कार्य निरंतर जारी था। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। अनिल सिंह पुत्र सेचन सिंह द्वारा पटेल नगर, सामनेघाट, सीरगोबर्धनपुर, वार्ड-नगवां पर एचएफएल के अंतर्गत जी+1 तल का निर्माण पूर्ण कर द्वितीय तल पर कालम एवं दीवार का निर्माण कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी।

वर्तमान में स्थल पर विपक्षी द्वारा जी+1 तल का निर्माण पूर्ण कर द्वितीय तल पर कालम एवं दीवार का निर्माण कार्य किया जा रहा था। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। शांती देवी पत्नी बच्चन सिंह द्वारा पटेल नगर, सामनेघाट, महेंद्र तिवारी के भवन के पश्चिम, वार्ड-नगवापर एचएफएल क्षेत्र के में भूखण्ड पर नींव का निर्माण कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। मीना देवी पत्नी अजय गुप्ता के द्वारा मौजा नरिया, रोहितनगर, वार्ड-भेलूपुर में पूर्व निर्मित फाउण्डेशन पर कालम्स की शटरिंग का कार्य किये जाने पर नोटिस दी गई थी। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर स्थल को सील कर दिया गया है।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 09.07.2024

एमएलसी व भाजपा जिलाध्यक्ष ने 44 लाख की लागत से 8 हाईमास्ट का किया लोकार्पण

रोहनिया/वाराणसी। विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने सोमवार को रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के सुसवाहीं वार्ड के गौतम नगर कॉलोनी में वाराणसी विकास प्राधिकरण की अवस्थाना मद से ग्राम हाशापुर, मिसिरपुर, नरउर, ककरमत्ता, छितौनी कोट, हरदतपुर, गौतम नगर कॉलोनी, अयोध्यापुर, मुड़ादेव आदि विभिन्न आठ गांवों में 44 लाख की लागत से स्थापित होने वाले 8 हाईमास्ट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर काशी विद्यापीठ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवेश पटेल, मंडल अध्यक्ष मिलन मौर्य, सभासद सुरेश पटेल गुड्डू, वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता सत्य प्रकाश वर्मा, सहायक अभियंता लाला सतीश कुमार सुमन, फर्म ठेकेदार अजय सिंह, बमबम यादव, परमेश कुमार, शिवआश्रय विश्वकर्मा उर्फ गोलू, विभाष पाठक, रामचंदर, मंडल उपाध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह, धर्मेंद्र, पंकज शर्मा, मंता लाल, आलोक सिंह, संजय शर्मा बबलू इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 09.07.2024

वाराणसी जोन-3 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध की सील बन्दी

वाराणसी।वार्ड-चौक के अन्तर्गत बादशाह अली पुत्र स्व0 सिराजुल हसन द्वारा पता-भवन संख्या- सी0के0-43/164, मोहल्ला-गोविन्दपुरा कला दालमण्डी रोड, वार्ड-चौक, जिला- वाराणसी पर अनाधिकृत रूप से लगभग 22 फिट 50 फिट के माप में जी+3 तल का पूर्व निर्मित भवन के पीछे मिट्टी कटाई का निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27, 28(1) व 28(1) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।इस दौरान जोनल अधिकारी श्री सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियन्ता रविन्द्र प्रकाश, मौजूद रहे।

न्यायाधीश–दि0 09.07.2024

वाविप्रा द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण व अवैध निर्माणों के विरूद्ध की गई सील की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा 8 जुलाई को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण व अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-भेलूपुर में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा भूतल के अवैध निर्माण को आज ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ उक्त निर्माण के आसपास लगभग तीन बीघे में की गई अवैध प्लाटिंग के अंतर्गत प्लाटिंग के कार्यालय कक्ष एवं अन्य निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया। सरकार द्वारा अस्सी नाले के जीर्णोद्धार किये जाने की दिशा में ये उल्लेखनीय कार्य है ।अतः अस्सी नाले के आसपास उक्त निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर वहां इस आशय का सूचना पट स्थापित किया गया कि यह क्षेत्र अवैध प्लाटिंग का है जिसमें किसी भी प्रकार के भूखंड की खरीदारी करना नियमानुसार अनुचित है।इसी क्रम म वार्ड नगवां के निमन्वत स्थानों पर सील की कार्यवाही की गयी :-वार्ड-भेलूपुर आर0पी0 सिंह द्वारा भवन सं0-बी0-36/10 एक्स-12-जी-1, कैवल्यधाम एक्सटेंशन कालोनी, वार्ड-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 40'50' के क्षेत्रफल में भूतल पर पीलर खड़े करते हुए बीम की सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (ग) व 28 (ग) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 40'50' के क्षेत्रफल में भूतल पर पीलर खड़े करते हुए बीम की सटरिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा था । पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है। ऋतुराज सिंह द्वारा भवन सं0-बी0-36/10-50 के बगल में, मिलेनियम स्कूल के पास, कैवल्यधाम एक्सटेंशन कालोनी, वार्ड-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 30'40' के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर प्रथम तल पर पीलर खड़े करते हुए सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(ग) व 28 (ग) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 30'40' के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर प्रथम तल पर पीलर खड़े करते हुए सटरिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा था । पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है। सीमा सिंह पत्नि सुनील कुमार सिंह द्वारा भवन सं0-बी0-36/10 एक्स-37, कैवल्यधाम एक्सटेंशन, वार्ड-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में लगभग 3045 वर्गफीट के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित जी+3 जिसका कार्य काफी समय से बन्द था। पक्ष द्वारा जी+3 के ऊपरी तल पर पीलर खड़े करते हुए सटरिंग का कार्य प्रारम्भ किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(ग) व 28 (ग) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी । निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग 3045 वर्गफीट के क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित जी+3 के ऊपरी तल पर पीलर खड़े करते हुए सटरिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा था। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 08.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है। इसी क्रम में चिन्तामणि यादव द्वारा प्लाट नं0-450, गंगोत्री नगर, सामनेघाट, वार्ड-नगवां, जिला-वाराणसी पर एच0एफ0एल0 क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 4050 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी+1 तल के पूर्व निर्मित भवन के द्वितीय तल पर सटरिंग का कार्य कर छत की ढलाई का कार्य किया जा चुका था । फिनिशिंग का कार्य गतिमान रखने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28(1) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। वाविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 09.07.2024

अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी

वाराणसी।प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-शिवपुर अनौरा, मौजा-गोसाईपुर हरहुआ थाना बड़ा गांव में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये पुरुषोत्तम अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल वगैरह द्वारा 4.5 बीघा छेत्रफल में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी ।उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को आज 07 जुलाई 2024 को उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी एवं जोनल अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।उक्त के अतिरिक्त वार्ड शिवपुर औसानपुर एवं पंचकोशी रोड हरहुआ पर अज्ञात द्वारा में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा 5 बीघा छेत्रफल में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी जिसे उपाध्यक्ष द्वारा निर्देशित कार्यवाही के क्रम में अवैध प्लाटिंग को आज 07 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी एवं जोनल अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।मौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जयप्रकाश, सहायक अभियन्ता श्री अम्शबरीश शर्मा व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 09.07.2024

सचिव वाविप्रा ने किया व्यापक निरीक्षण

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा अधोहस्ताक्षरी मे जोन-2 के अन्तर्गत वार्ड सारनाथ के मुख्य मार्गो, दौलतपुर, संदहा (बरियासनपुर रिंग रोड के समीप) एवं मिल्कोपुर का निरीक्षण किया गया। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान कई छोटे-बड़े आवासीय/व्यावसायिक/बारात घर आदि अवैध निर्माण गतिमान पाये गये। मौके पर अवैध निर्माण संजय जायसवाल, राज घराना मार्बल, भवन संख्या-सा0 3/186, दौलतपुर भक्ति नगर, वार्ड-सारनाथ वाराणसी पर व्यावसायिक निर्माण, हरिहरनाथ पटेल, पता-संदहा चौराहा, रिंग रोड, बरियासनपुर, वार्ड-सारनाथ वाराणसी पर व्यावसायिक निर्माण, अक्षय कुमार यादव, पता-मिल्कोपुर, शंकरपुर (रिंग रोड के समीप), वार्ड-

सारनाथ, वाराणसी पर आवासीय निर्माण, संजय सिंह, पता-बरियासनपुर, (रिंग रोड के समीप), वार्ड-सारनाथ, वाराणसी पर बारात घर/मैरिज लॉन का निर्माण, विजेन्द्र प्रताप सिंह, पता-बरियासनपुर, रिंग रोड, वार्ड-सारनाथ, वाराणसी पर बारात घर/मैरिज लॉन का निर्माण को तत्काल ही सील कराया गया। निरीक्षण के दौरान जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार व अवर अभियन्ता श्री जय प्रकाश गुप्ता एवं प्रवर्तन टीम के फील्ड स्टाफ आदि उपस्थित थे। (सचिव द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 09.07.2024

हाई मास्ट से जगमगाएंगे आठ गांव

जनसंदेश न्यूज

वाराणसी। रोहनिया विधानसभा के आठ गांव जल्द ही प्रकाशमय होंगे। इसके लिए वीडीए अवस्थापना मद से जहां आठ हाई मास्ट लगाया जायेगा, वहीं इस पर 44 लाख रुपये खर्च भी होंगे। इस हाई मास्ट का सोमवार को विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के सुसवाही वार्ड के गौतम नगर कॉलोनी में लोकार्पण किया। वीडीए की अवस्थाना मद से लगने

रोहनिया इलाका

विधान परिषद सदस्य ने किया लोकार्पण

44 लाख होंगे खर्च, वीडीए अवस्थापना मद से होगी व्यवस्था

वाले इस हाई मास्ट से हाशापुर मिसिरपुर, नरउर, ककरमत्ता, छितौनी कोट, हरदत्तपुर, गौतम नगर कॉलोनी, अयोध्यापुर, मुड़ादेव आदि गांव जहां जगमग हो जायेंगे और आठ गांवों के लोग इससे लाभान्वित भी होंगे। इस अवसर पर काशी विद्यापीठ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धेवेश पटेल, मंडल अध्यक्ष मिलन मौर्य, सभासद सुरेश पटेल गुड्डू, वीडीए के अधिशासी अभियंता सत्य प्रकाश वर्मा, सहायक अभियंता लाला सतीश कुमार सुमन, फर्म ठेकेदार अजय सिंह, बम बम यादव, परमेश कुमार शिव आश्रय विश्वकर्मा उर्फ गोलू, विभाव पाठक, रामचंदर, मंडल उपाध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह, धर्मेंद्र, पंकज शर्मा, आदि लोग शामिल रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 09.07.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-शिवपुर अनौरा, मौजा-गोसाईपुर हरहुआ थाना बड़ा गांव में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये पुरुषोत्तम अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल वगैरह द्वारा 4.5 बीघा छेत्रफल में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी द्य उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को आज 07 जुलाई 2024 को उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी एवं जोनल अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

उक्त के अतिरिक्त वार्ड शिवपुर औसानपुर एवं पंचकोशी रोड हरहुआ पर अज्ञात द्वारा में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा 5 बीघा छेत्रफल में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी जिसे उपाध्यक्ष द्वारा निर्देशित कार्यवाही के क्रम में अवैध प्लाटिंग को आज 07 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी एवं जोनल अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

मौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जयप्रकाश, सहायक अभियन्ता श्री अम्शबरीश शर्मा व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन–दि0 09.07.2024

वीडीए उपाध्यक्ष सख्त 9.5 बीघा की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

बिना ले आउट पास कराये की अवैध प्लॉटिंग तो वीडीए करेगा ध्वस्तीकरण कार्यवाही : पुलकित गर्ग

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। जिसमें प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-शिवपुर अनौरा, मौजा-गोसाईपुर हरहुआ थाना बड़ागांव में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये, पुरुषोत्तम अग्रवाल, रविन्द्र अग्रवाल वगैरह द्वारा 4.5 बीघा छेत्रफल में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। जिसे सोमवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की उपस्थिति में प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के साथ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी की गई। उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इसके पश्चात अतिरिक्त वार्ड शिवपुर औसानपुर एवं पंचकोशी रोड हरहुआ पर अज्ञात द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अज्ञात द्वारा 5 बीघा छेत्रफल में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी जिसे उपाध्यक्ष के निर्देश के क्रम में इस अवैध प्लाटिंग को को भी प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया इस दौरान मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, सहायक अभियन्ता अम्बरीश शर्मा व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन–दि0 09.07.2024

44 लाख की लागत से लगने वाले 8 हाई मास्ट का एमएलसी ने किया लोकार्पण

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण की अवस्थापना मद से ग्राम हाशापुर, मिसिरपुर, नरउर, ककरमत्ता, छितौनी कोट, हरदतपुर, गौतम नगर कॉलोनी, अयोध्यापुर, मुड़ादेव आदि विभिन्न आठ गांवों में 44 लाख की लागत से स्थापित होने वाले 8 हाई मास्ट का विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने सोमवार को रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के सुसवाही वार्ड के गौतम नगर कॉलोनी में लोकार्पण किया।

इस अवसर पर काशी विद्यापीठ ब्लॉक

वीडीए अवस्थापना मद से 8 जगहों पर लगेंगे यह हाईमास्ट

प्रमुख प्रतिनिधि प्रवेश पटेल, मंडल अध्यक्ष मिलन मौर्य, सभासद सुरेश पटेल गुड्डू, वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता सत्य प्रकाश वर्मा, सहायक अभियंता लाला सतीश कुमार सुमन, फर्म ठेकेदार अजय सिंह, बम बम यादव, परमेश कुमार, शिवआश्रय विश्वकर्मा उर्फ गोलू, विभाष पाठक, रामचंदर, मंडल उपाध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह, धर्मेंद्र, पंकज शर्मा, मंता लाल, आलोक सिंह, संजय शर्मा, बबलू इत्यादि लोग उपस्थित रहे।